भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3908**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

रत्नों और आभूषणों के निर्यात पर जीएसपी वापस लेने का प्रभाव

3908. श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमेरिका ने जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंस (जीएसपी) के अंतर्गत भारत से शुल्क लाभों को वापस ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या क्रिसिल रिसर्च लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से रत्नों और आभूषणों के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे निर्यातकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या पिछले वर्ष के व्यापार आंकड़ों के अनुसार रत्नों और आभूषणों सहित श्रम सघन क्षेत्रों में निर्यात बहुत ही कम रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां। जीएसपी के तहत लाभों को दिनांक 5 जून,2019 से वापस ले लिया गया है। कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 6.3 बिलियन अम.डा. (यूएसटीआर आंकडों के अनुसार) के मूल्य का माल निर्यात किया जो वर्ष में यूएसए को भारत के कुल निर्यात का 12.1 % था । यूएसए द्वारा स्पष्ट किया गया कारण यह था कि भारत ने यूएसए को न्यायसंगत तथा उचित बाजार पहुंच प्रदान करने का आश्वासन नहीं दिया था ।

(ख) और (ग): क्रिसिल रिसर्च लिमिटेड सरकारी अनुसंधान संगठन नहीं है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के विश्लेषण के अनुसार, हाल में जीएसपी लाभ को वापस लेने के कारण यूएसए को भारत के रत्न एवं आभूषण के कुल निर्यात के केवल 1% पर ही प्रभाव पडने की आशा है।

(घ) एवं (ड.). जून,2018 के साथ-साथ जून,2019 में यूएसए को श्रम सघन प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात :

(मूल्य मिलियन अम.डा.में)

(अ) अनंतिम)

क्र.सं.	वस्तु	जून 2018	जून 2019 (अ)	% वृद्धि
1	रत्न और आभूषण	727.3	608.06	-16.4
2	कपड़ा और संबद्ध उत्पाद	682.94	683.95	0.15%
3	चमड़ा और चमड़ा निर्माता	86.99	84.45	-2.92%

स्रोत: डीजीसीआईएस

श्रम सघन क्षेत्रों सहित भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 और समय-समय पर लिए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं। एफ़टीपी निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने और निर्यात सम्बंधी प्रोत्साहन स्कीमों तथा निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट पर शुल्क रियायत/छूट पर देकर देश में मूल्यवर्धन में वृद्धि करने हेतु रूप रेखा प्रदान करता है। दिसंबर, 2017 में एफटीपी की मध्यावधि समीक्षा के समय भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2% की वृद्धि की गई। दिनांक 02.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ब्याज समकरण स्कीम के तहत दर को बढ़ाकर 5% कर दिया गया और दिनांक 02.01.2019 से इस स्कीम के तहत व्यापारी निर्यातकों को शामिल किया गया। दिनांक 07.03.2019 को परिधान और मेड अप्स के निर्यातों को शामिल करते हुए राज्य एवं केन्द्रीय कर तथा उगाही छूट (आरओएससीटीएल) के लिए एक नई स्कीम को अधिसूचित किया गया । इसके अतिरिक्त, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक स्कीमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, निर्यात संबंधी अवसंरचना का सृजन करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।